राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1665 / SEIAA/2022
Date: 23/9/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

विषय :– **प्रकरण क्र 9249/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 78, 81 279, 280, 281, 286, 287, 288, ग्राम कोल्याबयडा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण पर 746वी SEIAA बैठक दिनांक 13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 669 दिनांक 08.06.2022 के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है का उल्लेख है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में कलस्टर में सम्मिलित खदानों (स्वीकृत/संचालित) के दृष्टिगत कुल क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त 02 खदानों के संबंध में जिला कलेक्टर अलीराजपुर से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उपरोक्त एकल प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2022 के अनुसार दर्शित किन खदानों (जिसकी अवधि समाप्त हो गई है) का विधिवत माईन क्लोज़र हुआ है अथवा नहीं। उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा ।"

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया एकल प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2022 के अनुसार दर्शित किन खदानों (जिसकी अवधि समाप्त हो गई है) का विधिवत माईन क्लोज़र हुआ है अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तदानुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

O/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1666 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 23/9/22

प्रतिलिपि :–

1. श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र) की ओर सूचनार्थ।

O/c सदस्य सचिव